न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/240

कालूलाल आत्मज जगन्नाथ दत्तक पुत्र पन्नालाल जाति अहीर निवासी ग्राम अरलाई तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

– अपीलांट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 28.01.2026**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 25/2022 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम अरलाई, पटवार हल्का खैडारूद्धा, तहसील– रामगंजमण्डी जिला कोटा मे वादी के कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 33 पुराना 28 की खसरा नम्बर 446, 449, 452, 453, 784 कुल किता 5 की कुल रकबा 4.85 हैक्टयर स्थित है एवं माल ग्राम फावा की खाता संख्या 10 नया, पुराना 11 की खसरा नम्बर 320, 321 कुल किता 2 की कुल रकबा 5.1600 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात का एक मात्र खातेदार कृषक वादी है। वादपत्र में सजरा परिवार अंकित करते हुए मूलपुरूष डूंगा जी के दो पुत्र पन्नालाल व जगन्नाथ होने तथा जगन्नाथ का पुत्र वादी कालूलाल होने का अंकन करते हुए निवेदन किया कि पन्नालाल व उसकी पत्नी जमना बाई लाओलाद होने से अपने छोटे भाई जगन्नाथ के पुत्र कालूलाल वादी को गोद लिया था। इस प्रकार दोनो भाई पन्नालाल व जगन्नाथ का वारिस वादी कालूलाल ही है। इस कारण उक्त आराजीयात मे पिता का नाम 1/2 पर जगन्नाथ व 1/2 पर पन्ना दर्ज किया गया है।कि उक्त आराजीयात में कालूलाल के पिता के दो नाम दर्ज किये गये है जिस कारण वादी को भारी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। वादी कालूलाल के पिता के रूप मे जगन्नाथ ने

गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट निम्न कारणो से अपील प्रस्तुत करता है:–

<u>अपील संख्या 2024/240</u>

<u>कालूलाल बनाम सरकार</u>

दूसरा पन्ना दर्ज होने के कारण वादी उक्त आराजीयात पर सरकारी सहायता व अन्य सहायता प्राप्त नही कर पा रहा है। वादी के दस्तावेजात् मे पिता का नाम जगन्नाथ दर्ज है। इस कारण उक्त आराजीयात मे भी पिता का नाम पन्ना के स्थान पर जगन्नाथ किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादी के नाम के पीछे पिता के दो अलग अलग नाम दर्ज होने से वादी कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त नही कर पा रहा है। जिससे वादी को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता व योजनाओ से वंचित होना पडता है। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी रही है। उपरोक्त परिस्थितियो मे वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह सम्मानीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिकी प्राप्त करे कि उपरोक्त भूमि माल ग्राम अरलाई, पटवार हल्का खैडारूद्वा, तहसील– रामगंजमण्डी जिला कोटा मे वादी के कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 33 पुराना 28 की खसरा नम्बर 446, 449, 452, 453, 784 कुल किता 5 की कुल रकबा 4.85 हैक्टयर स्थित है एवं माल ग्राम फावा की खाता संख्या 10 नया, पुराना 11 की खसरा नम्बर 320, 321 कुल किता 2 की कुल रकबा 5.1600 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड मे पिता का नाम पन्ना के स्थान पर संशोधित कराकर जगन्नाथ दर्ज किया जावे। वाद कारण राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 08.02.2022 को लेने और गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिकी प्रदान की जावे– (1)– यह कि ग्राम अरलाई, पटवार हल्का खैडारुद्वा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में वादी के कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 33 पुराना 28 की खसरा नम्बर 446, 449, 452, 453, 784 कुल किता 5 की कुल रकबा 4.85 हैक्टयर स्थित है एवं माल ग्राम फावा की खाता संख्या 10 नया, पुराना 11 की खसरा नम्बर 320, 321 कुल किता 2 की कुल रकबा 5.1600 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड मे पिता का नाम पन्ना के स्थान पर संशोधित कर जगन्नाथ दर्ज किया जावे एवं वादी को खातेदार घोषित किया जावे। (2)– यह कि वाद का समस्त हर्जा खर्चा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे तथा अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2024 को वादी की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय व डिकी पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.06.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 26.06.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री की नकल जिसका आवेदन दिनांक 27.06.2024 को किया गया जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 28.06.2024 को प्राप्त हुई तथा उसके पश्चात अपीलांट अपने अधिवक्ता हबीब नूर को उक्त निर्णय डिकी की नकल एवं पैसे देकर दिनांक 30.06.2024 को आ गया तथा उसके पश्चात अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त निर्णय डिकी की अपील मैं तैयार करके कोटा में पेश कर दूंगा उसके पश्चात अपीलांट के द्वारा दिनांक 10.09.2024 को अपने अधिवक्ता से उक्त अपील की तारीख पेशी पूछने के लिये गया तब मालूमात हुआ कि उक्त निर्णय डिक्री की अपील अभी पेश नहीं की गई। इस प्रकार अपीलांट अपने अधिवक्ता से निर्णय डिकी की नकल एवं संपूर्ण फाईल लेकर कोटा न्यायालय में अपने अधिवक्ता के पास दिनांक 18.09.2024 को आया तथा इस प्रकार डिले हुई अवधि को डिले कन्डोन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि अपीलांट के द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गई है क्योंकि अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण कानून की जानकारी से अनभिज्ञ होने के कारण निर्धारित समय पर अपील पेश नहीं कर पाया था। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक एवं क्षम्य है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वादी की साक्ष्य के आधार पर उक्त वाद को खारिज फरमा दिया गया जबकि प्रतिवादीगण की कोई साक्ष्य नहीं ली गई और ना ही वादी अपीलांट के अलावा और ना ही कोई अन्य साक्ष्य ली गई। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो तनकी कायम की ना ही तनकी वार निर्णय पारित किया गया इस कारण सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से उक्त निर्णय डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी के द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा स्वयं को पन्नालाल को गोदपुत्र होना प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई है। अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना किए बिना ही निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2024 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2024 निरस्त किए जाने तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खेड़ारूद्धा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा सख्या 446, 449, 452, 453, 784 कुल किता 5 रकबा 4.85 हैक्टेयर एवं ग्राम फावा की खसरा संख्या 320, 321 कुल किता 2 रकबा 5.16 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम पन्ना के स्थान पर संशोधित कर जगन्नाथ दर्ज किए जाने तथा वादी को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादी अपीलांट का कथन है कि वादी अपीलांट के परिवार के मूलपुरूष डूंगा जी दो पुत्र पन्नालाल व जगन्नाथ हुए, वादी जगन्नाथ का जायन्दा पुत्र है तथा पन्नालाल के कोई औलाद नहीं होने से पन्नालाल द्वारा वादी अपीलांट को गोद लिया गया है अतः पन्नालाल व जगन्नाथ दोनो का एकमात्र वारिस वादी अपीलांट है। वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्से की भूमि में अपीलांट के पिता का नाम पन्नालाल के स्थान पर जगन्नाथ दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किए बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.05.2022 में पैरोकार सरकार द्वारा

जवाब पेश किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा संलग्न है जिस पर दिनांक 25.05.2022 अंकित है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवाद सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किए बिना एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2024 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

च

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 25/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम करें तथा उभयपक्षकारान के साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 12.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/1/26

(सुरेश्वर प्रसाद)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा